न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वाद संख्या– 439 / 2021

पीठासीन अधिकारी:–रमेश देव आर.ए.एस.

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:– 88 आरटीए

1. बलदेव सिंह वल्द बलवीरसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
2. मंगल सिंह वल्द बलवीरसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
3. बलजिन्द्र कौर पत्नी मखन सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
4. जसवीरसिंह पुत्र अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
5. बूटा सिंह वल्द अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।

–वादीगण

बनाम

1. सरजीत सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति [illegible] निवासी ढांबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
2. सरजीत कौर पत्नी अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
3. कर्मजीत कौर पुत्री अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
4. गगनदीप कौर माता बलजीत कौर पुत्री अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
5. लवप्रीत सिंह माता बलजीत कौर पत्नी लख्खासिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
6. जसप्रीत सिंह माता बलजीत कौर पत्नी लख्खासिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
7. कुलदीप सिंह पुत्र मखनसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
8. हैप्पीसिंह पुत्र मखनसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
9. सुखपाल कौर पुत्री मखनसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
10. गलकीत कौर पत्नी बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
11. चरणजीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
12. सिमरजीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
13. सुखप्रीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
14. कमलप्रीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
15. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ज़िला–हनुमानगढ़

उपस्थित :–

1. श्री बलवीर सिहाग – अधिवक्ता वादीगण
2. सुभाष चन्द्र परीहार– अधिवक्ता प्रतिवादी 1 ता 14
3. राजपैरोकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

निर्णय दिनांक 7-7-2023

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 02.12.2021 को इस न्यायालय में पेश किया मुताबिक वाद पत्र हालात इस प्रकार है कि यह कि

प्रतिवादी सं. 01 के नाम चक 6 बीजीपीए के खाता सं. 116/95 में कुल एकल खाता में 2.2770 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि हमारे परिवार की खरीदशुदा कृषि भूमि थी। जिसका नामान्तकरण अज्ञानतावश नहीं करवा पाए उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह है कि वादीगण शुरू से ही उक्त कृषि भूमि पर काबिज है व प्रतिवादी सं. 01 का उक्त कृषि भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। वादीगण शांतिपूर्वक तरीके से काश्त कर रहे है इसलिए वादीगण उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। इसी प्रकार वादीगण सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा बहिब एवं वादीगण सं. 3 का 1/4 हिस्सा व वादी सं. 4 व 5 कस 1/4 हिस्सा बहिब के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

यह है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपनी कब्जाकाश्त भूमि में अपने अपने हक व हिस्से के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल का कहकर टालमटोल करते रहे परन्तु पिछले सप्ताह ऐसा करने से इंकार हो गया। बस यहीं वाद कारण है।

यह है कि वादीगण उक्त कृषि भूमि में पिछले 50 वर्षो से मकान बनाकर शांतिपूर्वक ढंग से काबिज है। राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ सीवबंट के संबध में विवाद बना रहता है। उक्त कृषि भूमि का लगान, मामला, सिंचाई कर वादीगण एवं उनके पिता/पति समय समय पर भरवाते रहे है। वादीगण अपनी अपनी कब्जाकाश्त की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का अपने नाम अंकन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

वादीगण को चक 6 बीजीपी ए के खाता सं. 116/95 में दर्ज कृषि भूमि में वादी सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा बहिब व वादी सं. 3 को 1/4 हिस्सा व वादी सं. 4 व 5 को 1/4 हिस्सा बहिब के अनुसार अपने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2 वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रति सं 1 ता 14 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष परीहार उपस्थित आये व वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण 2 ता 14 स्वयं/जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 15 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी सं. 1 ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रदश 1, 2ए, 3ए करवाये गये। वकील वादी के निवेदन व प्रतिवादी वकील की अनापति पर प्रतिवादी सं. 3, 4 का नाम मुताबिक आधार कार्ड दुरुस्त करवाया गया। सरपंच ग्राम पंचायत ढाबां से इस आशय की तस्दीक वकील वादी द्वारा पेश की जिसमें बलदेव सिंह उर्फ हरपाल सिंह वल्द बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां एक ही व्यक्ति के नाम है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अवलोकन किया गया। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है वादीगण का वाद डिक्रित व स्वीकार योग्य है। दौराने बहस

कोई विवाद या विरोध सामने नहीं आया, अतः तनकीयात कायम नहीं की गई। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 6 बीजीपी ए जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता सं. 116/95 में दर्ज कृषि भूमि में वादी सं. 1 बलदेव सिंह व 2 मंगलसिंह का 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. व वादी सं. 3 बलविन्द्र कौर को 1/4 हिस्सा व वादी सं. 4 जसवीर सिंह व 5 बुटासिंह को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है तथा उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 सरजीत वल्द मोतीसिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

7/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गूल वाद में डिक्री बमुकदमें ईब्बादाई
अ. आदेश 20 नियम 6 7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी रमेश देव ए.एस.

प्रकरण संख्या–439 / 2021

1. बलदेव सिंह वल्द बलवीरसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
2. मंगल सिंह वल्द बलवीरसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
3. बलजिन्द्र कौर पत्नी मखन सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
4. जसवीरसिंह पुत्र अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
5. बूटा सिंह वल्द अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।

वादीगणः–

बनाम

1. सरजीत सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति कुम्हार निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
2. सरजीत कौर पत्नी अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
3. कर्मजीत कौर पुत्री अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
4. गगनदीप कौर माता बलजीत कौर पुत्री अजायब सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
5. लवप्रीत सिंह माता बलजीत कौर पत्नी लख्खासिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
6. जसप्रीत सिंह माता बलजीत कौर पत्नी लख्खासिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
7. कुलदीप सिंह पुत्र मखनसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
8. हैप्पीसिंह पुत्र मखनसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
9. सुखपाल कौर पुत्री मखनसिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
10. मलकीत कौर पत्नी बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
11. चरणजीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
12. सिमरजीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
13. सुखप्रीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
14. कमलप्रीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति नाई निवासी ढाबां, तहसील संगरिया जिला–हनुमानगढ़।
15. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला–हनुमानगढ़

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकंद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवीर सिहाग वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाष चन्द्र परीहार व राज पैरोकार हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 6 बीजीपी ए जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता सं. 116/95 में दर्ज कृषि भूमि में वादी सं. 1 बलदेव सिंह व 2 मंगलसिंह का 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. व वादी सं. 3 बलविन्द्र कौर को 1/4 हिस्सा व वादी सं. 4 जसबीर सिंह व 5 बुटासिंह को 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है तथा उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 सरजीत सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज..X..नल..X..मुब्लिक..X..निल..X..बाबत्..X..निल..X..खर्चा..X..अदा मुकदमें के मय शुद वा शरह, फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह डिक्री आज दिनांक 7-7-2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

7/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official